

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी

2. प्रार्थी श्री ..... को संचारार्थ।

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

प्रतिपि :-

क्रमांक: सट्टेता/5-11(007)/2023 दिनांक :-

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
राशमी



क.सं.	मौजा	खता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	राधापुरा कला	74,75, 101,122	परसू पिता सशराम जाट	पृथ्वीराज पिता श्रीराम जाट

जाने का आदेश दिये जाते है :-

प्रार्थी के "खता दुबली" प्रबन्धना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का आरणी बी, में अभिलेख निरीक्षक वृत्त राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुबंधा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा राधापुरा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी समस्त 2076-77 में खता संख्या 108 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

प्रसंग :- 027 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन गांवों के संग  
अभियाज्ञ-2023

(पृथक् पृथक् अधिकारी कैम्प कार्ट) कैम्प :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राशमी

राजस्थान सरकार  
व्यापार्य उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

